

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठाभिनीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/1323

दिनांक - 18/06/14

प्रार्थीगण बनाम

अप्रार्थीगण

1 डाउराम 2 तगाराम 3 नारणाराम 4 पाबुराम 5 राजुराम पिसरान मुकनाराम जाति जाट निवासी सरली कला, सरली तहसील व जिला बाडमेर।

1 कसुम्बीदेवी पत्नी पुराराम 2 अनाराम 3 खेमाराम 4 खंगाराराम पिसरान पुराराम 5 गिरधारीराम 6 हनुमानराम पिसरान घमण्डाराम 7 भूराराम 8 राजुराम पिसरान पोकराराम 9 लच्छाराम पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी सरली कला, सरली तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 156/2019

दिनांक - 14/06/14

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सरली कला पटवार क्षेत्र सरली तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 27 रकबा 0.10 बीघा, खसरा संख्या 784/28 रकबा 39.10 बीघा कुल रकबा 40.00 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2019/1326-28

दिनांक - 18/06/14

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरली तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. डाउराम पुत्र मुकनाराम वगैराह जाति जाट निवासी सरली कला, सरली तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी कसुम्बीदेवी पत्नी पुराराम वगैराह जाति जाट निवासी सरली कला, सरली तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर